

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी—श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या —: 68/2021

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनराम पुत्र छोगाराम		1. छगनलाल पुत्र अणदाराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र छोगाराम		2. गोबरराम पुत्र अणदाराम
3. देवी पत्नी हस्ताराम जाति मेगवाल निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		3. भवराराम पुत्र अणदाराम 4. धनाराम पुत्र अणदाराम 5. केसाराम पुत्र अणदाराम 6. मिरगो बेवा अणदाराम जाति—मेगवाल निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


निर्णय

दिनांक —: 16.08.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि सरहद मौजा पाटोदी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 3891 रकबा 87.03 व खसरा संख्या 3893 रकबा 1.18 बीघा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 14.02.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार पचपदरा को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई, मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार पचपदरा द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे पक्षकारान अधिवक्ताओं की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा पाटोदी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 3891 रकबा 87.03 व खसरा संख्या 3893 रकबा 1.18 बीघा भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।




सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

कं. सं.	नाम खातेदारान	गांव का नाम	खसरा संख्या	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म भूमि	लगान	वरंग
1	मोहनराम पुत्र छोगाराम हि. 1/4 जगदीश प्रसाद पुत्र छोगाराम हि 1/4 देवी पत्नी हरताराम हि 1/2 जाति मेगवाल सा. पाटोदी खातेदार	पाटोदी	3891	8.2637	बा.सो.	—	नक्शे में दर्शात अनुसार
2	छगनलाल 1/6, गोबरराम 1/6, भवराराम 1/6, धनाराम 1/6, केसाराम 1/6 पि. अणदाराम मिरगो पत्नी अणदाराम 1/6 केसाराम नाबालिग की संरक्षक माता मिरगो जाति मेगवाल सा.पाटोदी खातेदार	पाटोदी योग—	3893 3891 3891	0.3075 2.9785 2.8652	बा.सो. बा.सो. बा.सो.	—	नक्शे में दर्शात अनुसार
			03	6.1512	बा.सो.		

तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्या मुर्तिव जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करें।



(राजेश कुमार)

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 16.08.2023 को लिखा जाकर सरें इजलास सुनाया गया।





सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.) बालोतरा

मूलवाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:—श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
अनवान

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मोहनराम पुत्र छोगाराम		1. छगनलाल पुत्र अणदाराम
2. जगदीश प्रसाद पुत्र छोगाराम		2. गोबरराम पुत्र अणदाराम
3. देवी पत्नी हस्ताराम जाति मेगवाल निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा जिला बालोतरा		3. भंवराराम पुत्र अणदाराम
		4. धनाराम पुत्र अणदाराम
		5. केसाराम पुत्र अणदाराम
		6. मिरगो बेवा अणदाराम जाति—मेगवाल निवासी पाटोदी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा
		7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद बाबत:—53,188 आर.टी.एक्ट


मुकदमा नम्बर : 68/2021

निर्णय दिनांक :—16.08.2023

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 06 की ओर से अधिवक्ता श्री संतोष भंसाली की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 07 की अनुपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.8.2023 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:—वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 16.08.2023 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को आदेश दिये जाते हैं कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह आज तारीख 16.08.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।




(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शा के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय	-----	5. आदेशिका की तामील	-----
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	-	जोड़	-----


सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा